

गुस्ताव हुआक का स्वागत किया और चैकोस्लोवाकिया के साथ आर्थिक सहयोग पर एक समझौता हुआ। पिछले महीने राष्ट्रपति टोटो की यात्रा से गुटनिरपेक्ष देशों पर असर पड़ने वाली हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक विचार-विनिमय करने का एक और मौका मिला।

हमारी और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों की ओर से समानता और आपसी हित के आधार पर सम्बन्ध मजबूत करने के सचेत प्रयत्न किए जा रहे हैं। भारत में संयुक्त राज्य के रूप फण्ड के प्रश्न पर हाल ही में हुआ समझौता इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वाणिज्यिक समझौता संपन्न होना एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे, इस विशाल समुदाय के साथ हमारे सम्बन्धों की अच्छी शुरुआत है। हमें विश्वास है कि आगामी वर्षों में इस समुदाय और भारत के बीच व्यापारिक और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

राष्ट्रमण्डल के दो सदस्य देशों—आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड—के प्रधान मंत्रियों की यात्रा के दौरान विचार विनिमय से विश्व के मामलों पर इन नेताओं के विवेकपूर्ण रवैये, शांति में आस्था और भारत तथा एशिया के अन्य देशों में बढ़ती हुई रुचि का पता चलता है। जून 1973 में प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्ध और मजबूत हुए हैं।

अफ्रीकी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध निकट और सहयोगपूर्ण हैं। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में तंजानिया की यात्रा की और जंजीबार में क्रांति की दसवीं वर्षगांठ में हिस्सा लिया। नये राज्य गिनी-विमाओ की स्थापना का हम स्वागत करते हैं, जो उपनिवेशवाद और जातिवाद के विरुद्ध अफ्रीकी जनता के संघर्ष में हमारे सुविदित समर्थन के अनुरूप है।

अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ निकट सहयोग, हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सितम्बर 1973 में, प्रधान मंत्री ने अल्जीयर्स में गुटनिरपेक्ष देशों के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग

लिया। इस सम्मेलन ने राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सहमति तथा सदस्य देशों का एक दूसरे के साथ ज्यादा सहयोग करने के संकल्प का परिचय दिया।

सम्माननीय सदस्यगण! विश्व के देशों में सम्बन्धों के आधार और स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं और इसी प्रकार कई विचार भी, जिन्हें पिछले दो दशकों में महत्व दिया जा रहा था। फिर भी, यह सन्तोष का विषय है कि आज़ादी के बाद से अब तक हमारी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों को हमेशा समर्थन प्राप्त हुआ है।

इस अधिवेशन में आप अगले वित्तीय वर्ष के अनुदानों की मांगों, मतवर्ष के शेष तथा नये विधायी कार्यों पर विचार करेंगे। सरकार संसद के समक्ष खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी जिसमें यह और भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। अन्य विधेयकों में से हैं: पांडिचेरी और हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के विधेयक, संविधान की 9वीं अनुसूची में और संशोधन लाने का एक विधेयक, और कृषि पुनर्वित्त अधिनियम को संशोधन करने का एक विधेयक, जिससे क्षेत्र विकास निगमों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी जा सके।

सम्माननीय सदस्यगण! मैं 1974 के कठिन कार्यों के लिए आपका आभार करता हूँ। राष्ट्र के सामने जो बड़ी चुनौती है उसे कृतसंकल्प जनता ही सुयोग के रूप में बदल सकती है। मुझे खरा भी सन्देह नहीं है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में, निष्ठा और रचनात्मक सहयोग की भावना से आप इस काम में उचित मार्गदर्शन देंगे और यह देश वर्तमान कठिनाइयों को पार कर अपने चुने हुए रास्ते पर और भी मजबूती से और अधिक संगठित होकर आगे कदम बढ़ायेगा।

#### OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: It is with profound feelings of sorrow that I have to refer to the passing away of Professor Satyendra Nath

Bose, a doyen of Indian scientists and a former Member of this House.

Born in 1894, Professor Bose was educated at Calcutta. Immediately after completion of University education, Professor Bose devoted himself to scientific pursuit and research in the domain of Physics and Applied Mathematics. Within a short time and at a very young age, Professor Bose's research and publications brought him fame and he was regarded as one of the front rank scientists in the world. Professor Bose had the unique distinction of working with Professor Einstein and Madame Curie and both of them appreciated his contribution to the realm of science.

Many and varied were the honours showered on Professor BOSJ in recognition of his valuable contribution to knowledge and service to the country. He was President of the Indian Science Congress in 1944 and was Chairman of the National Institute of Sciences, India from 1948 to 1950. Professor Bose was Vice-Chancellor of Vishva Bharati University from 1956 to 1958. He was a nominated Member of this House from 1952 to 1959. The Royal Society of England elected him a Fellow in 1958 and Indian conferred on her distinguished son, the national honour of Padma Vibhushan and also made him a National Professor.

In the death of Professor Bose, the country and the scientific world lost a great scientist, intellectual leader and a dedicated and inspired teacher. In this House, he was a respected Member and his simplicity and dedication to his work endeared him to all.

I would request members to rise in their places and observe a minute's silence as a mark of respect to the memory of the deceased.

*[Hon. Members then stood in silence for one minute]*

MR. CHAIRMAN : Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of grief and profound sorrow.

#### **PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF GUJARAT**

MR. CHAIRMAN : Mr. Mohsin.

SHRI LAL K. ADVANI(Delhi) : Sir, on a point of order.

MR. CHAIRMAN : That it should not be laid on the Table ?

SHRI LAL K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister is about to lay on the Table of the House three documents relating to the imposition of President's rule in Gujarat. Sir, I would like to submit to you that the first document, namely, the Proclamation issued by the President on February 9, 1974, under article 356 of the Constitution is of doubtful constitutional validity, and I would urge on you to consider this aspect. You are an eminent jurist. This is a matter that is being harped on again and again; I have myself had occasion to raise this issue in the House that article 356 is intended to intervene in a State where the constitutional machinery of the State has broken down. In Gujarat, Sir, I have no doubt that the constitutional machinery has ceased to exist there was complete collapse of normal administration but there was no such thing as loss of majority for the ruling party.

MR. CHAIRMAN : You can argue it later.

SHRI LAL K. ADVANI : My point is that the only justification by which imposition of President's rule in Gujarat can be made is that the Assembly had ceased to represent the will of the people even though 140 members belonged to the ruling party. I would like to quote the former Chief Minister, Mr. Oza, who said : "We must bow down our heads in shame that, even